



जम्मू और कश्मीर अधिकारिक राजपत्र

खंड-139] श्रीनगर, शुक्रवार, 10 जुलाई, 2026/19 आषाढ़, 1948. [सं. 16-2

इस भाग को अलग पृष्ठीकरण दिया गया है ताकि इसे एक अलग संकलन के रूप में दर्ज किया जा सके ।

भाग II—सी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचनाएं, सूचनाएं एवं आदेश ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 10 जुलाई, 2026
19 आषाढ़, 1948 (शक)

अधिसूचना

429/जेएंडके./2022:— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13 ख की उप धारा (1) के उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा यह निर्देश देता है कि जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 13 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 429/जेएंडके./2022 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे ।

उक्त अधिसूचना में संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में, स्तम्भ संख्या 1 में उल्लिखित विधानसभा क्षेत्रों के सामने स्तम्भ 2 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी।

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
1	2
2—त्रेहगाम	सहायक आयुक्त विकास, कुपवाड़ा
40—देवसर	सहायक आयुक्त विकास, कुलगाम
60—ऊधमपुर पूर्व	सहायक आयुक्त विकास, ऊधमपुर

आदेश से,

(सुमन कुमार दास)

सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित ।

ह./-

अनिल सलगोत्रा (ज.क.प्र.से.),

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र।